संलग्नक -26

तार : पर्यावरण
GRAM : PARYAVARAN

क्षेत्रीय कार्यालय
Regional Office

दूरभाष : ०५२२–२७२२२३२
Phone : 0522-2722232

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD LUCKNOW

संन्दर्भ सं०
Ref. No. : 3267 / NOC - 731/14

दिनांक
Dated : 9 : 12 : 2014

सेवा में,

मै0 इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि0,
द्वारा–श्रीमती नाज फातिमा सुपुत्री–श्री सैयद हसन मेंहदी,
गाटा संख्या–233 मि0, ग्राम–काशीपुर, तहसील–रामसनेहीघाट,
<u>जिला–बाराबंकी</u>

विषयः <u>पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबध में।</u>

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र जोकि इस कार्यालय में दिनांक 02/12/14 को प्राप्त हुआ है, का संदर्भ ग्रहण करें। आपके आवेदन पत्र, अभिलेखों में दी गयी सूचनाओं एवं कराये गये स्थलीय निरीक्षण के आधार के आधार पर आपके आवेदन पत्र पर विचार किया गया। आपके प्रस्तावित स्थल गाटा संख्या–233 मि0, ग्राम–काशीपुर, तहसील–रामसनेहीघाट, जिला–बाराबंकी पर इण्डियन ऑयल कार्पो0 लि0 द्वारा प्रस्तावित रिटेल आउटलेट (पेट्रोल/डीजल) पम्प स्थापित किये जाने हेतु पर्यावरर्णीय प्रदूषण की दृष्टिकोण से निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के साथ सशर्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाता है :–

1. उद्योग की स्थापना का कार्य आवेदन पत्र में वर्णित स्थल पर ही किया जायेगा तथा प्रस्तावनुसार अधिकतम 20 किली0 क्षमता का एक पेट्रोल टैंक तथा 20 किली0 क्षमता प्रत्येक 02 डीजल टैंक का भूमिगत भण्डारण सुरक्षित स्टील टैकों में किया जायेगा तथा भारत पेट्रोलियम कार्पो0 लि0 से आपूर्ति मशीनों के माध्यम से ईधन की बिकी किया जायेगा।
2. घंरेलू जल/मल के निस्तारण हेतु सेप्टिक टैंक/सोकपिट की स्थापना इकाई के संचालन से पूर्व करना सुनिश्चित किया जायें।
3. आकस्मिक दुर्घटना/आग से निपटने हेतु कारखाना विभाग की गाइड लाइन्स के अनुरूप समुचित सुरक्षा व्यवस्था स्थापित की जाये तथा अनुमोदित प्रस्ताव की छायाप्रति तीन माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
4. पेट्रोल पम्प के सचालन से पूर्व नियमानुसार जल/वायु अधिनियम के अनुपालन में बोर्ड से सहमति जल/वायु प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायें।
5. इकाई में यथा सम्भव खाली स्थान पर त्वरित गति से बढने वाले पौधों का रोपड़ कर हरितपटिटका विकसित की जाये।
6. यह आदेश निर्गमन तिथि से अगले 01 वर्ष हेतु विधि मान्य होगा (तथा यह अन्य विभागों से अनिवार्यतः प्राप्त किये जाने वाली अनुमतियों को नहीं बाधित करेगा।)

उपरोक्त शर्तो का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें अन्यथा नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।

भवदीय,

(कुलदीप मिश्र)
क्षेत्रीय अधिकारी

नाज़फ़ात्मा
Naz Fatima
Reto: . . . : : C.L.)